

मु.न. 3/2013

अमलराम / कुलराम

दिनांक

आज्ञा पत्र

12-10-20

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व भाजानसार दिनांक 9.11.20 को पेश हो

9-11-20

पत्रावली पेश। प्रकरण में रिकॉर्ड की तारीख शेष है इस हेतु अपीलेंट शेष रिकॉर्ड को रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हों। ताकि अपील का एपिप्रासिपीय निस्तरण किश जा सकें पत्रावली आस्ते तलवी रिकॉर्ड दिनांक 8.12.20 को पेश हों।

8-12-20

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व भाजानसार दिनांक 29.12.20 को पेश हो

29.12.20

पत्रावली पेश। वकील अपीलांत को हियायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तारीख से शेष रिकॉर्ड को रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकॉर्ड प्राप्त खारिज पत्रावली रहे / तलब किया जाये। पत्रावली आस्ते तलवी दिनांक 1.1.21 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

12.7.20

पत्रावली पेश। वकील अपीलांत ने उपस्थित होकर खारिज किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलांत से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलांत नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से क्रम होकर बाद तरीक चकमील दाखिल टफनर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर

No

not  
press  
the